



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक संख्या : COE/392/26
दिनांक : 25/9/26

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं के अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 64/2026/563/सत्र-4-2026-70-4002(001)/2/2025, दिनांक 19 अगस्त 2026 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं का चयन किया जाना है। योजना के संबंध में उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को लाभान्वित किया जाना है।

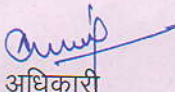
तदक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की कुल संख्या 28,897 है। इसके आधार पर शीर्ष 5 प्रतिशत छात्राओं की संख्या 1,445 निर्धारित होती है तथा सामान्य मेरिट का कटऑफ 85.12 प्रतिशत है।

समिति के निर्णय एवं शासनादेश में उल्लिखित टाई-ब्रेकर नियमों के अनुसार कुल 81 छात्राओं में से 14 छात्राओं का चयन माध्यमिक में प्राप्त उच्च अंकों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार सामान्य कटऑफ से 10 प्रतिशत तक कम मेरिट पर पात्र विशेष श्रेणियों में 75.12 प्रतिशत है, दिव्यांग छात्राओं एवं जिन छात्राओं के माता अथवा पिता का निधन हो चुका है, ऐसी छात्राओं को अर्ह पाया गया है।

उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र छात्राओं की सूची विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रदर्शित है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय की छात्राओं को पोर्टल पर प्रदर्शित सूची का अवलोकन कराने का कष्ट करें। पोर्टल पर प्रदर्शित सूची में से यदि कोई छात्रा रह गयी है तब तत्काल सूचित करते हुये उसके मूल/मान्य (मार्कशीट, अपार कार्ड, मोबाइल न0 आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ईत्यादि) अभिलेखों सहित विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें, ताकि उसके प्रकरण का समय से सत्यापन कर रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जा सके।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि पोर्टल पर प्रदर्शित सूची में सम्मिलित छात्राएं ही शासनादेश एवं समिति के निर्णय के अनुसार पात्र छात्राएं हैं।

अतः आपसे एक बार पुनः अपेक्षा है कि इस सूचना का अपने महाविद्यालय की संबंधित छात्राओं में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए जिससे उक्त मन्सा से लाभान्वित होने वाली छात्रायें वांचित न रह जायें आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।


नोडल अधिकारी


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय अधीक्षक, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ
- एजेन्सी -2024 को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को सम्बन्धित महाविद्यालयों की लॉगिन आईडी0 पर आज ही अपलोड करने का कष्ट करें।